न्यायालयः– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना जिला डीडवाना–कुचामन

बउनवान–अब्दुल सलाम व अन्य बनाम सरकार
किस्म– दीवानी मूल नंबर–45/2016 क.न.–194/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16-04-26	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया जिसके संबंध में बहस गत पेशी पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि हस्तगत वाद वादीगण ने खान संख्या 137 व 171 के संबंध में पेश किया है। वादीगण व प्रतिवादीगण जिनका सिजरा खानदान में उल्लेख है। उनके वारिसान स्व. अल्लादीन के वंशज है। अल्लादीन के वंशज के दो खाने मकराना में स्थित थी जिनको मौखिक रूप से पारिवारिक समझौता करके दोनो खानो को अलग अलग वारिसान के पारिवारिक व्यवस्था में रखी गई है। प्रतिवादीगण, अल्लादीन के वारिसान के मध्य जो पारिवारिक व्यवस्था हुई उसे मानने से इंकार कर रहे है जिससे पारिवारिक व्यवस्था में शामिल अल्लादीन के वारिसान इस वाद में आवश्यक व प्रोपर पक्षकार है तथा अल्लादीन के सिजरा में वर्णित वारिसान में से कई वारिसान की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान इस वाद में आवश्यक पक्षकार है। वादग्रस्त खान आवंटन के लिए आवश्यक खर्च का स्त्रोत खान संख्या 171 की आय रही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को पढने से स्पष्ट होती है कि अल्लादीन के वारिसान के मध्य वादग्रस्त व खान संख्या 171 की पारिवारिक व्यवस्था हुई थी जिससे अल्लादीन के सभी वारिसान को वाद में पक्षकार बनाया जाना	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

आवश्यक है जिनमें:—

1. खलील अहमद पुत्र नूरा

2. फयाज मोहम्मद पुत्र फारूख अहमद

3. अब्दुल रज्जाक पुत्र फारूख अहमद

4. निशाद अहमद पुत्र फारूख अहमद

5. अलनाप मोहम्मद पुत्र फारूख अहमद

6. बाईसा बेगम पत्नि मोहम्मद सदीक पुत्री फारूख अहमद

7. आबिदा बेगम पुत्री फारूख अहमद

8. जाईदा बेगम पत्नि मोहम्मद फारूख पुत्री फारूख अहमद

9. नवाब अली पुत्र शौकत अली

10. मोहम्मद सलीम पुत्र शौकत अली

11. नौशाद पुत्र शौकत अली

12. परवीन बानो पत्नि अब्दुल समद सिसोदिया पुत्री शौकत अली

13. नजमा बानो पत्नि जमील अहमद पुत्री शौकत अली

14. जमील अहमद पुत्र अब्दुल जब्बार

15. अमजद अली पुत्र अब्दुल जब्बार

16. जावेद अली पुत्र अब्दुल जब्बार

17. खलीद अहमद पुत्र अब्दुल जब्बार

18. अजरा बानो पत्नि इरफान अली पुत्री अब्दुल जब्बार

19. रईसा बानो पत्नि मोहम्मद जहीर पुत्री अब्दुल जब्बार

20. बेबी पत्नि अब्दुल अजीज पुत्री अब्दुल जब्बार

21. मोहम्मद इकबाल पुत्र अब्दुल गफार

22. अब्दुल समद पुत्र अब्दुल गफार

अपर जिला न्यायाधीश
न्यायालय, जिला डीडवाना–कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	23. समीना पत्नि अब्दुल हफीज पुत्री अब्दुल गफार 24. तसलीम बानो पत्नि मोहम्मद सलीम पुत्री अब्दुल गफार 25. नसीम बानो पत्नि मोहम्मद सलीम पुत्री अब्दुल गफार उक्त सभी वारिसान वाद में आवश्यक पक्षकार है जो अल्लादीन के वंशज है और वाद प्रारंभिक स्टेज पर है अतः उक्त सभी वारिसान को प्रतिवादी संख्या 17 के आगे प्रतिवादी पक्षकार बनाए जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खान संख्या 137 में अल्लादीन व नसरूदीन का कभी कब्जा, हक हिस्सा नही रहा है। उक्त खान नसरूदीन के पुत्रो अब्दुल रहमान व भोलू उर्फ जुम्मा के अलग हो जाने के काफी समय बाद अब्दुल रहमान ने खालसा खान संख्या 137 को अपने नाम आवंटित करवाया था। वादीगण ने वाद में स्वीकार किया है कि खान संख्या 137 अकेले अब्दुल रहमान के नाम से खालसा खान का पटटा दिया गया है। उक्त खालसा खान का आवंटन दिनांक 01.07.39 से 30.09.1948 तक के लिए अब्दुल रहमान पुत्र नसरूदीन के नाम किया गया। अब्दुल रहमान के वारिसान न तो वादीगण है और न ही वे व्यक्ति है जिन्हे पक्षकार बनाना चाहते है। उक्त खान जब अल्लादीन की कभी रही ही नही और अल्लादीन की मृत्यु उक्त खान के आवंटन वर्ष सन् 1939 के काफी समय पूर्व ही हो चुकी थी तो अल्लादीन के वारिसान का हिस्सा नही हो सकता। वादीगण ने दिनांक 21.	

(अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

06.1978 व 28.06.1978 की तथाकथित लिखतो के आधार पर वाद पत्र पेश किया है जिन्हे प्रतिवादीगण ने जवाब दावे में गलत व फर्जी बताकर अस्वीकार किया है। वादीगण का वाद 10 वर्ष पुराना है और वादीगण का टी.आई. प्रार्थना पत्र खारिज हुआ है। वादीगण द्वारा चाहे गए पक्षकार वाद में न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही उचित पक्षकार है। वादीगण येनकेन प्रकारेण प्रतिवादीगण को परेशान करने व ठगने पर आमादा है। वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर वाद पुनः प्रारंभिक स्टेज पर चला जाएगा जिससे प्रतिवादीगण को अपूरणीय क्षति होगी अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खारिज किए जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक अधिवक्ता वादीगण ने दौराने बहस कथन किया कि वादीगण ने उक्त वाद पत्र खान संख्या 137 व 171 के संबंध में पेश किया है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित व्यक्ति अल्लादीन के वंशज थे और अल्लादीन के वंशज के मध्य उक्त खानो बाबत बंटवारा हुआ था जिसे प्रतिवादीगण ने मानने से इन्कार कर दिया। उक्त पारिवारिक समझौते में शामिल अल्लादीन के वारिसान वाद में आवश्यक व प्रोपर पक्षकार है जिन्हे पक्षकार बनाया जावें ताकि वाद का न्यायपूर्ण निस्तारण हो सके इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 04 ता 17 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वादीगण ने वाद पत्र में मात्र खान संख्या 137 के संबंध में अनुतोष चाहा है उक्त खान को अब्दुल रहमान ने खालसा होने के बाद आवंटित कराई

अपर जिला न्यायाधीश
जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	जिसका लाईसेंस अब्दुल रहमान के नाम से सन् 1939 में जारी किया था और इससे पूर्व ही अल्लादीन की मृत्यु हो चुकी थी और उक्त खान में अल्लादीन के वारिसान नसरूदीन, उस्मान, जीवण, नूरा व भोलू का हिस्सा नही है। वादीगण पारिवारिक व्यवस्था के तहत उक्त खान में हिस्से बाबत निष्पादित जिस दस्तावेजात को प्रदर्शित कराने के संबंध में पेश प्रार्थना पत्र में जो आदेश पारित किया गया उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट कर वादीगण द्वारा प्रदर्श कराने बाबत चाहा गया अनुतोष खारिज किया गया है अतः वादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र मय हर्जे खारिज किया जावें इस संबंध में न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जहां तक वादीगण ने दौराने बहस अल्लादीन के वारिसान खलील अहमद व अन्य को पक्षकार बनाने का निवेदन किया इस बाबत पत्रावली का अवलोकन करे तो वादीगण ने न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में खान संख्या 137 के संबंध में अनुतोष चाहा है और वाद पत्र के साथ अल्लादीन के वंशज के संबंध में सिजरा भी पेश किया है इस संबंध में प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने उक्त खान अब्दुल रहमान के नाम सन् 1939 में आवंटित किए जाने का कथन किया है और इस बाबत प्रतिवादीगण ने खान संख्या 137 के पट्टे की प्रति भी पत्रावली पर पेश की है जिसमें उक्त खान संख्या 137 का पटटा दिनांक 01.07.1939 को अब्दुल रहमान के नाम पटटा जारी होना प्रथम दृष्टया अंकन है। वादीगण ने ऐसे कोई दस्तावेजात पत्रावली पर पेश नही किए है जिसमें उक्त खान अल्लादीन के	

न्यायाधीश
डीडवाना-कुचामन

हुक्म		
	नाम पर आवंटित हुई हो और अल्लादीन से अब्दुल रहमान के नाम आवंटित हुई हो। वादीगण ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिन व्यक्तियो को पक्षकार बनाना चाहा है व जो सिजरा पेश किया है उनके अवलोकन से प्रथम दृष्टया वह पक्षकार अल्लादीन के वंशज के वंशज है। हस्तगत वाद पत्र में उस्मान अल्लादीन का पुत्र होने तथा उस्मान का खान संख्या 137 में हिस्सा होने के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजात प्रथम दृष्टया पेश नही है इस प्रकार वादीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पक्षकार व स्वयं वादी की ओर से पेश सिजरे में वर्णित वारिसान किस प्रकार व किस कारण से उक्त खान में आवश्यक पक्षकार है यह वादी ने स्पष्ट नही किया है और न ही वादीगण ने इस बाबत वाद पत्र में वर्णन किया है। उस्मान के वंशज फारूख व अन्य वंशज का उक्त खान संख्या 137 में कोई हिस्सा था और वे इस वाद में आवश्यक पक्षकार कैसे थे इस बाबत वादीगण ने कोई स्थिति स्पष्ट नही की है। चूंकि वादीगण ने उक्त वाद पत्र 20.08.2016 को पेश किया है तत्पश्चात् लंबे अंतराल के बाद दिनांक 12.03.2026 को वादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रतीत है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित पक्षकार अगर आवश्यक पक्षकार थे तो उक्त पक्षकारान का हस्तगत वाद पत्र में वर्णन करते लेकिन ऐसा कोई वर्णन हस्तगत वाद पत्र में अंकित नही है जिससे वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित वारिसान को हस्तगत वाद पत्र में पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है अतः उपरोक्त विवेचन तथा उक्त तथ्यो व परिस्थितियो को देखते हुए वादीगण अधिवक्ता द्वारा	

जिला न्यायाधीश

...रीख ...क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम ... इस हु... की तामी... मे जारी हु...
	पेश प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 30.04.2026 को पेश हो। अपर जिला न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन	